

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : डा. हरीतिमा, आर.ए.एस.

न्याय निर्णयन आवेदन सं० 29/2022

श्री जीत सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

बनाम

1. श्री लोचन साई पुत्र स्व. श्री नरेन्द साई निवासी 2-ए-40 सुखाड़ियानगर श्रीगंगानगर।
मै० श्याम फालुदा, रबड़ी कूल्फी, गोल बाजार, जिला श्रीगंगानगर।

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा
एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/51


निर्णय

दिनांक : 06.01.2023

सक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी श्री जीत सिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी, का गजट नोटिफिकेशन दिनांक 26.07.2011 के गजट में भाग 2(क) पर प्रकाशित हुआ है एवं संशोधित गजट नोटिफिकेशन दिनांक 25.08.2011 को प्रकाशित कर दिया गया। व परिवादी का पदस्थापन एवं कार्यक्षेत्र का आवंटन आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय राज. जयपुर के आदेश क्रमांक निदेशालय के आदेश क्रमांक खाद्य सुरक्षा/निदे०/2022/337 दिनांक 20.04.2022 के अनुसार जिला श्रीगंगानगर किया गया है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियां न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

श्री जीतसिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 27.05.2022 को 11.00 ए.एम. का मै० श्याम फालुदा, रबड़ी कूल्फी, गोल बाजार, जिला श्रीगंगानगर पर पहुंचा। मौके पर विक्रेता लोचन साई पुत्र स्व. श्री नरेन्द साई निवासी 2 ए 40 सुखाड़ियानगर श्रीगंगानगर अपना परिचय देकर दुकान पर रखे रबड़ी (कुल्फी) के बारे में जानकारी वाही, इस पर विक्रेता ने स्वयं को दुकान का मालिक बताया तथा दुकान पर रखी 70 ग्राम वजन की डी फ्रीज में रखे करीब 200 नग रबड़ी (कुल्फी) को आमजन के बेचान वारते होना बताया। मुझे इसी रबड़ी (कुल्फी) में मिलावज का शक होने पर विक्रेता से नमूना जांच वारते रबड़ी (कुल्फी) का नमूना लेने की इच्छा विक्रेता को फार्म नम्बर 5ए भरकर देते हुए वरवक्त की मौके पर ही विक्रेता को फार्म नम्बर 5ए भरकर दिया जिरा पर विक्रेता व गवाहान के व गने हरताक्षर किये। फार्म नम्बर 5 ए न्याय निर्णयन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संस्थान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध रबड़ी (कुल्फी) में से 1.2 किलोग्राम रबड़ी (कुल्फी) विक्रेता से खरीद कर एक साफ सूखे बर्तन में खरीद कर लिया तथा वार बराबर भागों में बाटकर चार साफ सूखी


जति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर



खाली प्लास्टिक की सीसी जो मेरे पास उपलब्ध थी में भरकर लिया। विक्रेता का मौके पर ही उक्त क्यशुदा रबड़ी (कुल्फी) का नगद भुगतान 320/- रूपये किया तथा केशमीमो बनावाकर लिया जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर है और मेरे भी हस्ताक्षर है। केशमीमो न्यायनिर्णय आवेदन के साथ सलग्न है।


आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नम्बर 5ए की प्रतियां तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझकर हस्तक्षर करने को कहा जिसे श्री लोचन साई एवं गवाहान ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म से 5ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक श्री लोचन साई को देकर अराल पर रसीद प्राप्त की। फार्म नम्बर 5ए मूल सलग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा रबड़ी (कुल्फी) को बराबर भागों में बांटकर चार बोटलों भरकर लिया। चार बोटलों पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के कोड व क्रमांक के 1505 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा पेपर रिलप के-1505 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर रिलप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भागों के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं के आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

मौके पर फर्द मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री लोचन साई एवं गवाहान ने भी पढकर,समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट मूल सलग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, बीकानेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हेल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक :- एलएस/684/एक्ट/2022/684 दिनांक 07.06.2022 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना K-1505 Sub-standard Food होना पाया गया। इस पर अभिहित अधिकारी कम मुख्य विक्रेता एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त श्री लोचन साई पुत्र स्व. श्री नरेन्द साई मै0 श्याम फालुदा, रबड़ी कुल्फी, गोल बाजार, जिला श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर रबड़ी (कुल्फी) का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006


अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर



की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 29.11.2022 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि:- प्रार्थी मकान नम्बर 2-ए-40 जवाहरनगर, श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर का रहने वाला है। प्रार्थी मै0 श्याम फलूदा रबड़ी कुल्फी दुकान गोल बाजार, श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर का मालिक है और प्रार्थी को आपके विभाग द्वारा एक नोटिस दिया गया है कि आपकी दुकान में की जांच की गई तो रबड़ी (कुल्फी) Sub-Standard Food पाया गया है, प्रार्थी ने उक्त रबड़ी (कुल्फी) में सुधार कर लिया है भविष्य में प्रार्थी ऐसी गलती दौबारा नहीं करेगा। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुए प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे। लिहाजा जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्म स्वीकार करता है। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे।


बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया रबड़ी (कुल्फी) का सैम्पल K-1505 जांच रिपोर्ट क्रमांक :- एलएस/684/एक्ट/2022/684 दिनांक 07.06.2022 द्वारा Sub-standard Food होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने जवाब में वर्णित तथ्यों को ही बहस में दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी मकान नम्बर 2-ए-40 जवाहरनगर, श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर का रहने वाला है। प्रार्थी मै0 श्याम फलूदा रबड़ी कुल्फी दुकान गोल बाजार, श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर का मालिक है और प्रार्थी को आपके विभाग द्वारा एक नोटिस दिया गया है कि आपकी दुकान में की जांच की गई तो रबड़ी (कुल्फी) Sub-Standard Food पाया गया है, प्रार्थी ने उक्त रबड़ी (कुल्फी) में सुधार कर लिया है भविष्य में प्रार्थी ऐसी गलती दौबारा नहीं करेगा। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुए प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे। लिहाजा जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्म स्वीकार करता है। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of "Kulfi" Code No and Sr. No. K-1505 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar is Sub-standard Food as it does not Conform to the prescribed Standard of Food Safety and standards (Food Products Standards and Food Additive) Regulations, 2011 की जांच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।


अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर




फलस्वरूप अभियुक्त श्री लोचन साई पुत्र स्व. श्री नरेन्द्र साई को एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त श्री लोचन साई पुत्र स्व. श्री नरेन्द्र साई को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत राशि रूपये 10,000-00 (अखरे रूपये दस हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में श्री लोचन साई पुत्र स्व. श्री नरेन्द्र साई खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटको का इस्तेमाल करे, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 06.01.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(डा. हरीजित्) **अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन)**
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा) **श्रीगंगानगर**